पत्रांक : 11/वि1–50/2013.......1751

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक :

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : 9/9/...., 2015

विषय : माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न पत्रों एवं प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है। आप अवगत हैं कि आज दिनांक 09.09.15 के अपराह्न से बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है।

अतः नियोजन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को तत्काल स्थगित किया जाय। किसी भी नियोजन इकाई द्वारा आचार संहिता के दरम्यान नियोजन की प्रक्रिया कार्यान्वित करने की स्थिति में नियोजन इकाई के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। नियोजन प्रक्रिया के संबंध में निदेशालय से संसूचन के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई प्रारंभ होगी।

विश्वासभाजन,

9/9/15
(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक– 11/वि1–50/2013.......1751 पटना, दिनांक 9/9/.. 2015

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/9/15
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

F/ K.V.N.Singh 14.08.15